फाइल नं0-71-1002(002)/7/2022

संख्या-65/2024/I/522000/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 16 मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण/सिविल कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-II/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो में पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि करते हुए रू0 36.00 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+ राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-48/2023/I/293864/2023-71-1002/19/2022, दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 36.00 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 14.40 करोड़ की धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के निर्वतन पर कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखी गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु निर्माण/सिविल कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 2529.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु पी0जी सीटों की वृद्धि के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 14.40 करोड़ (राज्यांश) में से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू0 885.00 लाख (रू0 आठ करोड़ पचासी लाख मात्र)** की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(राज्यांश), पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते से हस्तान्तरित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
2. प्रायोजनान्तर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन0एम0सी0) के मानकों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट , आर0ओ0 , ए0सी0 एंव टेबिल टेनिस आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 15.00 लाख को यथावत् अनुमन्य किया गया है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य किया जाए।
6. प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर कार्य के अंतर्गत फर्नीचर (हास्टल) रू0 76.55 लाख एवं फर्नीचर (क्यूविकल एंव सेमीनार हाल) रू0 25.42 लाख का कार्य आंकलित लागत में सम्मिलित किया गया है। उक्त कार्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है , मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एंव अन्य उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक / प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एंव कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
13. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
17. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
19. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
20. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
21. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, कनस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।